

इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न स्टेटमेंट
[आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं का
समामेलन) विनियम, 2024 के विनियम 27(1) के संदर्भ में]

प्रत्येक बीमाकर्ता को यहां भाग ए, भाग बी और भाग सी में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न और शेयरधारिता में परिवर्तन प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक_IRDAI_RET_3

भाग ए: बीमाकर्ताओं की इक्विटी होल्डिंग्स का विवरण

ईसीजीसी लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण

30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के अनुसार

क्र. सं.	श्रेणी	निवेशकों की सं.	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	चुकता इक्विटी (₹ लाखों में)	गिरवी रखे गए शेयर अथवा भारित शेयर		निश्चित रुद्धता अवधि वाले शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की सं. (VI)	कुल धारित शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
A	प्रमोटर और प्रमोटर समूह								
A.1	भारतीय प्रवर्तक व्यक्ति/एचयूएफ (प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
i)									
ii)	निकाय कॉर्पोरेट:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	वित्तीय संस्थान/बैंक								
		भारत के राष्ट्रपति - 1	भारत के राष्ट्रपति - 433799992	भारत के राष्ट्रपति - 99.999998	भारत के राष्ट्रपति - 433799.992	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/भारत के राष्ट्रपति	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति - 7	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति - 8	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति - 0.000002	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति - 0.008				



क्र. सं.	श्रेणी	निवेशकों की सं.	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	चुकता ईक्विटी (₹ लाखों में)	गिरवी रखे गए शेयर अथवा भारित शेयर		निश्चित रुद्धता अवधि वाले शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की सं (VI)	कुल धारित शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
v)	मिलकर काम करने वाले व्यक्ति (कृपया निर्दिष्ट करें)								
vi)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
A.2	विदेशी प्रमोटर व्यक्ति (प्रमुख शेयरधारकों के नाम):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	निकाय कॉर्पोरेट:								
ii)	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
B	गैर प्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारक संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
B.1	1.) म्यूचुअल फंड्स								
i)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक								
ii)	वित्तीय संस्थान / बैंक								
iii)	बीमा कंपनी								
iv)	विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								
v)	भारतीय प्रमोटर के विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								
vi)	भविष्य निधि/पेंशन निधि								
vii)	वैकल्पिक निवेश कोष								
viii)									



क्र. सं.	श्रेणी	निवेशकों की सं.	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	चुक्ता ईक्विटी (₹ लाखों में)	गिरवी रखे गए शेयर अथवा भारित शेयर		निश्चित रुद्धता अवधि वाले शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की सं. (VI)	कुल धारित शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
ix)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
x)									
1.2)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/भारत के राष्ट्रपति								
1.3)	गैर संस्थानों								
i)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी ₹2 लाख तक								
ii)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी ₹2 लाख से अधिक								
iii)	अन्य: -ट्रस्ट - अनिवासी भारतीय (एनआरआई) - समाशोधन सदस्य - अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय - निकाय कॉर्पोरेट -आईईपीएफ कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
iv)									
B.2	गैर सार्वजनिक शेयरधारक								
2.1)	कस्टोडियन / डीआर होल्डर								
2.2)	कर्मचारी लाभ ट्रस्ट								
2.3)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								



क्र. सं.	श्रेणी	निवेशकों की सं.	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	चुक्ता ईक्विटी (₹ लाखों में)	गिरवी रखे गए शेयर अथवा भारित शेयर		निश्चित रुद्धता अवधि वाले शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की सं (VI)	कुल धारित शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
	कुल	8	433800000	100	433800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट्स:

- भुगतान की गई ईक्विटी के 1% से ऊपर की सभी होल्डिंग्स का अलग से खुलासा करना होगा।
- भारतीय प्रमोटर - जैसा कि आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं का सम्मेलन) विनियम, 2024 के विनियम 3(1)(एल) के तहत परिभाषित किया गया है।
- जहां बीमाकर्ता लिस्टेड है, कॉलम "गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयर" वह "गैर प्रवर्तकों" श्रेणी पर लागू नहीं होगा।



भाग बी: प्रमोटर में शेयरधारिता पैटर्न का विवरण जैसा कि ऊपर भाग (ए) में दर्शाया गया है

प्रमोटर का नाम: भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(कृपया एक से अधिक प्रमोटरों के मामले में सारणीकरण दोहराएँ)

क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रदत्त हिस्सेदारी (₹ लाख में)	गिरवी रखे या अन्यथा भारग्रस्त शेयर		लॉक इन के अंतर्गत शेयर अवधि	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
A	प्रमोटर और प्रमोटर समूह								
A.1	भारतीय प्रमोटर व्यक्ति/एचयूएफ								
i)	(प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निकाय कॉर्पोरेट:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों								
iv)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/ भारत के राष्ट्रपति	भारत के राष्ट्रपति - 1	भारत के राष्ट्रपति - 433799992	भारत के राष्ट्रपति - 99.9999998	भारत के राष्ट्रपति - 433799.992	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 7	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 8	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.000002	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.008				
v)	मिलकर काम करने वाले व्यक्ति (कृपया निर्दिष्ट करें)								
vi)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								



क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रदत्त हिस्सेदारी (₹ लाख में)	गिरवी रखे या अन्यथा भारग्रस्त शेयर		लॉक इन के अंतर्गत शेयर अवधि	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
A.2	विदेशी प्रमोटर व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	(प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निकाय कॉर्पोरेट \$:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
B	गैर प्रवर्तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
B.1	सार्वजनिक शेयरधारक								
1.1)	संस्थानों								
i)	म्यूचुअल फंड्स								
	विदेशी								
ii)	पोर्टफोलियो निवेशक								
	वित्तीय								
iii)	संस्थान/बैंक								
iv)	बीमा कंपनी								
v)	आरबीआई के साथ								
vi)	पंजीकृत एनबीएफसी								
	विदेशी प्रमोटर से संबंधित								
	एफआईआई #								
vii)	भारतीय प्रमोटर के								
	विदेशी प्रमोटर से संबंधित								
	एफआईआई #								



क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रदत्त हिस्सेदारी (₹ लाख में)	गिरवी रखे या अन्यथा भारगस्त शेयर		लॉक इन के अंतर्गत शेयर अवधि	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
viii)	भविष्य निधि/पेंशन निधि								
ix)	वैकल्पिक निवेश कोष								
x)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
1.2)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/ भारत के राष्ट्रपति								
1.3)	गैर संस्थानों								
i)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी ₹2 लाख तक								
ii)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी ₹2 लाख से अधिक								
iii)	अन्य: - ट्रस्ट -अनिवासी भारतीय (एनआरआई) -समाशोधन सदस्य -अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय - निकाय कॉर्पोरेट - आईईपीएफ								
iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								



क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रदत्त हिस्सेदारी (₹ लाख में)	गिरवी रखे या अन्यथा भारग्रस्त शेयर		लॉक इन के अंतर्गत शेयर अवधि	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)*100
B.2	गैर सार्वजनिक शेयरधारक								
2.1)	कस्टोडियन/डीआर होल्डर								
2.2)	कर्मचारी लाभ ट्रस्ट								
2.3)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
	कुल	8	433800000	100	433800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट्स:

- उपरोक्त भाग बी के ए.1 और ए.2 में, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट निकायों के नाम विशेष रूप से और अलग से उल्लिखित होने चाहिए।
 - बीमाकर्ताओं को उन श्रेणियों को उजागर करना आवश्यक है जो आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं का सम्मेलन विनियम, 2024) के विनियमन 19(2) के दायरे में आते हैं।
 - भुगतान की गई इक्विटी के 1% से ऊपर की सभी होल्डिंग्स का अलग से खुलासा करना होगा।
 - 'एक साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत दिया गया है।
 - जहां प्रमोटर लिस्टेड है, वहां कॉलम "गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयर" "गैर प्रमोटर" श्रेणी पर लागू नहीं होगा।
- # कृपया उन एफआईआई के नाम निर्दिष्ट करें, जो उन एफआईआई को दर्शाते हैं जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार/विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।
- \$ कृपया उन कॉर्पोरेट निकायों के नाम निर्दिष्ट करें, जो उन कॉर्पोरेट निकायों को दर्शाते हैं जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार/विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।



भाग सी: प्रमाणीकरण

- a) प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय बीमा कंपनी के विदेशी निवेशकों और विदेशी प्रमोटरों (और उनकी सहायक कंपनियों) की भारतीय प्रमोटर/भारतीय निवेशक में इक्विटी होल्डिंग का विवरण पंजीकरण विनियम, 2024 में विनियम 19(2) में दिया गया है और विवरण के भाग बी में दर्शाया गया है।
- b) वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के अंत में आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं का सम्मेलन विनियम, 2024) के विनियमन 19 के संदर्भ में कुल विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहित) की गणना की जाती है 0 प्रतिशत।
- c) आगे प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है, और सही स्थिति को दर्शाती है।
- d) यह घोषित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाणपत्र की तिथि के अनुसार, बीमाकर्ता की चुकता पूंजी का 1%* से अधिक रखने वाले शेयरधारक फिट और उचित हैं।**

दिनांक: 11.10.2024

जगह: मुंबई

11/10/24
(हस्ताक्षर)

सृष्टिराज अम्बष्ठ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्मिता
11/10/2024
(हस्ताक्षर)

स्मिता पंडित
मुख्य अनुपालन अधिकारी

* जिस बीमाकर्ता के मामले में इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वहाँ 1% को 5% के रूप में पढ़ा जाएगा।

** खंड (डी) को 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण के साथ केवल वार्षिक आधार पर प्रमाणित किया जाना है।

